



ALL INDIA BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION

Central Office: "PRABHAT NIVAS" Regn. No. 2037
Singapore Plaza, 164, Linghi Chetty Street, Chennai-600 001
Phone: 2535 1522 Web: www.aibea.in
e mail : chv.aibea@gmail.com & aibeahq@gmail.com

सक्रिय नम्बर. 28/448/2022/19

23-3-2022

सभी यूनियनों और सदस्यों के लिए:

प्रिय साथियों,

30 साल में 50 हड़ताल

नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों और प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों के खिलाफ

इन जनविरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखें

28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें

स्पष्ट आह्वान: हमारे देश का मजदूर वर्ग 28 और 29 मार्च, 2022 को देशव्यापी हड़ताल में उतरने की तैयारी कर रहा है। हड़ताल को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियन कमर कस रहे हैं। उम्मीद है कि 20 करोड़ से अधिक श्रमिक - संगठित श्रमिक और असंगठित श्रमिक दोनों हड़ताल में शामिल होंगे। इस हड़ताल में भाग लेने के लिए मजदूरों के नए विभाग आगे आ रहे हैं।

AIBEA गर्व से जुड़ रहा है: हमें गर्व है कि **AIBEA** ने भी आह्वान किया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हमारे सभी सदस्य हमारे देश के करोड़ों श्रमिकों के साथ सरकार की जन-विरोधी और श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करेंगे।

मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना - हमारा प्रमुख कर्तव्य: जब से 1991 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार द्वारा नई आर्थिक नीतियां शुरू की गईं, AIBEA सबसे आगे रहा है और इन प्रतिगामी नीतियों का विरोध करने के लिए सभी संघर्षों का हिस्सा रहा है। पिछले 3 दशकों से हम लगातार इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्पष्ट विचार है कि ये नीतियां मजदूरों और आम जनता के हित में नहीं हैं, बल्कि ये नीतियां उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

AIBEA का मानना है कि सरकार की जनविरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना हमारे ट्रेड यूनियनों का सर्वोपरि कर्तव्य है और यही कारण है कि हम हमेशा केंद्र में आनेवाली क्रमिक सरकारों के खिलाफ इन संघर्षों का एक अविभाज्य हिस्सा रहे हैं।

कामगारों का उद्देश्य एक राजनीतिक कार्य है: ऐसे विचार और आलोचनाएँ रही हैं और अब भी हैं कि ये संघर्ष प्रकृति में राजनीतिक हैं और इसलिए यूनियनों को इस तरह की हड़ताल की कार्रवाइयों से दूर रहने की आवश्यकता है। लेकिन AIBEA का मानना है कि यह ट्रेड यूनियनों की जिम्मेदारी है कि जब भी किसी सरकार की कोई नीति श्रमिकों के हितों को प्रभावित करती है, तो श्रमिकों के हितों की हिमायत करें। यही कारण है कि हर सरकार के खिलाफ जब भी वह मजदूर विरोधी कदम उठाती है, AIBEA हड़ताल पर चली जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र विकास का मुख्य इंजन है: AIBEA का दृढ़ विचार है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक क्षेत्र को व्यापक-आधारित विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसीलिए AIBEA ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए लड़ाई लड़ी थी और 1969 में इसे हासिल करने में वह सफल रहा। पिछले तीन दशकों से, AIBEA बैंकों के निजीकरण के उद्देश्य से बैंकिंग सुधारों का लगातार विरोध कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र देश की मदद करता है जबकि निजी क्षेत्र मालिक की जेब भरता है।

बेरोजगारों के लिए अधिक नौकरियों के लिए लड़ना यूनियन का काम है: AIBEA इस बात से अवगत है कि हमारे देश में, जहां बेरोजगारी का स्तर बहुत अधिक है और जहां श्रमिकों का जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं है, वहां नौकरी और नौकरी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि 1969 में, बैंक कर्मचारियों की संख्या एक लाख से भी कम थी और राष्ट्रीयकरण और शाखा विस्तार के कारण, आज हमारे पास लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी हैं। हमें अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है। इसलिए AIBEA का मानना है कि हमें निजीकरण का विरोध करने के लिए इन संघर्षों में आगे होना चाहिए क्योंकि निजीकरण नौकरियों और नौकरी के अवसरों को प्रभावित करेगा। AIBEA हमेशा बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक नौकरियों की मांग करनेवाले आम संघर्षों का समर्थन करेगा।

संगठित नहीं लड़ते, तो असंगठितों के लिए कौन लड़ेगा? AIBEA का यह भी मानना है कि संगठित कामगार असंगठित कामगारों के शोषण से बेखबर नहीं रह सकते। बैंक कर्मचारी सुरक्षित और संरक्षित हैं क्योंकि हम शक्तिशाली AIBEA के तहत ट्रेड यूनियनों में संगठित हैं। लेकिन क्या हम असंगठित कामगारों, ठेका मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं? वे कम वेतन, उचित सेवा शर्तों की कमी, अपरिभाषित काम के घंटे और नौकरी की असुरक्षा से पीड़ित हैं। जब इन मुद्दों पर एक आम संघर्ष होता है, तो उसमें भाग लेना हमारा कर्तव्य है।

संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित कर्मचारियों को लड़ना पड़ता है: सरकार की नीति और प्रोत्साहन के कारण नियोक्ता नियमित नौकरियों के बजाय अधिक से अधिक आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। ये कर्मचारी बहुत शोषित हैं और वे अधिकांश श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं। हमारे बैंकिंग क्षेत्र में भी इनकी संख्या बढ़ रही है। 4,70,000 बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट हैं। ऐसे अन्य

भी हैं जो संविदा कर्मचारी हैं या कंपनी के लागत (cost to company) के आधार पर नियुक्त हैं। वे वही काम करते हैं जो हम करते हैं लेकिन उन्हें उतना वेतन नहीं मिलता जितना हमें मिलता है। उनके लिए हम नहीं तो कौन लड़ेगा? इस हड़ताल कॉल में यह महत्वपूर्ण मांगों में से एक है।

आज के लिए लड़ो, कल के लिए लड़ो - नयी पेन्शन योजना (NPS) खारिज करो: निस्संदेह हमारी वर्तमान जरूरतों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रेड यूनियनों को श्रमिकों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो महंगाई से जुड़ी पेन्शन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए युवा कर्मचारियों के लिए NPS को खत्म करने और DA से जुड़ी पेन्शन की बहाली की मांग एक महत्वपूर्ण मांग है। दो दिन की इस हड़ताल में यह अहम मांग है।

इस प्रकार 28 और 29 मार्च को 2 दिन की यह हड़ताल हमारे सामने एक महत्वपूर्ण हड़ताल है। हर मुद्दा हमारे लिए प्रासंगिक है। आइए इसे एक शानदार सफलता बनाएं।

अभिवादन के साथ,

आपका साथी,



सी.एच. वेंकटचलम महासचिव

1991 में आर्थिक उदारीकरण के एजेंडे को जारी किए जाने के बाद से नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों, मजदूर विरोधी श्रम नीतियों और प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों आदि के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की 50 हड़तालें और 30 साल का देशभक्तिपूर्ण संघर्ष

1.	29-11-1991	आर्थिक सुधारों, निजीकरण, मूल्य वृद्धि के खिलाफ
2.	16-09-1992	सरकार की आर्थिक सुधार नीतियों के खिलाफ
3.	09-09-1993	सरकार की आर्थिक सुधार नीतियों के खिलाफ
4.	17-02-1994	निजीकरण, शाखा बंद करने के खिलाफ, नौकरी और नौकरी की सुरक्षा के लिए
5.	08-04-	जनविरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ

	1994	
6.	11-05-1994	बैंकों में पूंजी के विनिवेश पर विधेयक के खिलाफ
7.	29-09-1994	नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ
8.	04-07-1997	स्थानीय क्षेत्र के निजी बैंकों के खिलाफ
9.	28-08-1997	स्थानीय क्षेत्र के निजी बैंकों के खिलाफ
10.	29-08-1997	स्थानीय क्षेत्र के निजी बैंकों के खिलाफ
11.	11-12-1998	जनविरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ
12.	11-05-2000	जनविरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ
13.	15-11-2000	बैंकों के निजीकरण के कदमों के खिलाफ
14.	21-12-2000	संसद में पेश हुआ निजीकरण के खिलाफ बिल
15.	16-04-2002	गलत आर्थिक नीतियों और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ
16.	21-05-2003	गलत आर्थिक नीतियों और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ
17.	23-02-2004	गलत आर्थिक नीतियों और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ
18.	22-03-2005	बैंकों के विलय, तथा BR एक्ट में संशोधन आदि के खिलाफ
19.	29-09-2005	प्रतिगामी आर्थिक नीतियों के खिलाफ
20.	28-07-2006	आउटसोर्सिंग और बैंकिंग विनियमन अधिनियम में बदलाव के खिलाफ
21.	27-10-2006	बैंकिंग सुधारों के खिलाफ और भर्तियों की मांग ले कर

22.	14-12-2006	मजदूर विरोधी श्रम नीतियों के खिलाफ
23.	25-01-2008	बैंकों के विलय के खिलाफ और एक और विकल्प की मांग
24.	20-08-2008	बैंकों के विलय के खिलाफ और एक और विकल्प की मांग
25.	24-09-2008	बैंकों के विलय के खिलाफ और एक और विकल्प की मांग
26.	25-09-2008	बैंकों के विलय के खिलाफ और एक और विकल्प की मांग
27.	16-12-2009	बैंकों के विलय और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ
28.	07-09-2010	कीमतों की वृद्धि, विनिवेश और ऐसी आर्थिक नीतियों के खिलाफ

29.	05-08-2011	खंडेलवाल की सिफारिशों और आउटसोर्सिंग के खिलाफ
30.	28-02-2012	कीमतों की वृद्धि, निजीकरण, श्रम कानून और बैंकिंग सुधार आदि के खिलाफ
31.	23-08-2012	बैंकिंग क्षेत्र पर हमलों और बैंकिंग कानून संशोधन के खिलाफ
32.	24-08-2012	बैंकिंग क्षेत्र पर हमलों और बैंकिंग कानून संशोधन के खिलाफ
33.	20-12-2012	बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश करने के खिलाफ
34.	20-02-2013	बैंकों में पूंजी के विनिवेश, श्रम कानून में बदलाव आदि के खिलाफ
35.	21-02-2013	बैंकों में पूंजी के विनिवेश, श्रम कानून में बदलाव आदि के खिलाफ
36.	02-09-2015	लोक-विरोधी, मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ
37.	08-01-2016	सहयोगी (एसोसिएट) बैंकों में सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर हमलों के खिलाफ

38.	29-07-2016	बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के खिलाफ
39.	02-09-2016	बैंकों के विलय, श्रम सुधार, फंसे कर्ज आदि के खिलाफ
40.	28-02-2017	बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के खिलाफ
41.	22-08-2017	बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के खिलाफ
42.	26-12-2018	बैंकों के विलय के खिलाफ
43.	08-01-2019	गलत आर्थिक नीतियों, श्रम कानून में बदलाव, निजीकरण के खिलाफ
44.	09-01-2019	गलत आर्थिक नीतियों, श्रम कानून में बदलाव, निजीकरण के खिलाफ
45.	26-10-2019	बैंक ऑफ बड़ोदा, देना बैंक और विजया बैंक के विलय के खिलाफ
46.	26-11-2020	गलत आर्थिक नीतियों, श्रम कानून में बदलाव, निजीकरण के खिलाफ
47.	15-03-2021	2 बैंकों के निजीकरण की बजट घोषणा के खिलाफ
48.	16-03-2021	2 बैंकों के निजीकरण की बजट घोषणा के खिलाफ
49.	16-12-2021	बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, 2021 के खिलाफ
50.	17-12-2021	बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, 2021 के खिलाफ

वर्ष	इतने दिनों की हड़ताल	वर्ष	इतने दिनों की हड़ताल
1991	1	2009	1
1992	1	2010	1
1993	1	2011	1
1994	4	2012	4
1997	3	2013	2
1998	1	2015	1
2000	3	2016	3
2002	1	2017	2
2003	1	2018	1

2004	1	2019	3
2005	2	2020	1
2006	3	2021	4
2008	4	1991 - 2021	50 दिन

मार्च 28 और 29 मार्च, 2022 को व्यापक हड़ताल पर